संख्या : 27/2024/I/785374/2024/68-5099/481/2024

प्रेषक,

डा0 एम0के0शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष
जिला शिक्षा परियोजना समिति,
समस्त जनपद, उ0प्र0।

बेसिक शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊ : दिनांक : 04 नवम्बर, 2024

विषयः **कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों मे ''एक के0जी0बी0वी0-एक खेल'' योजना के सम्बन्ध में।**

महोदय,

प्रदेश में संचालित कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पिछड़े एवं अपवंचित समुदायों की बालिकाओं को आवासीय सुविधा के साथ शिक्षा प्रदान की जा रही है। बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के दृष्टिगत इन विद्यालयों में शैक्षिक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सहगामी गतिविधियों का भी संचालन किया जाता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं को सीधे राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग कर अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को राज्य स्तरीय खेल यूनिट के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

2- कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की बालिकाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए बालिकाओं की रूचि के अनुसार किसी खेल विशेष में निपुण किये जाने हेतु कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों मे ''एक के0जी0बी0वी0 एक खेल'' योजना लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की एक विशिष्ट खेल टीम तैयार की जाएगी, जिसमें उस जनपद के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की खेल विशेष से संबंधित योग्यता वाली बालिकाओं को एक ही कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में रहकर एक साथ एक टीम के रूप में प्रशिक्षण दिया जाएगा। उक्त विशेष खेल हेतु टीम को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी संबंधित जनपद की के0जी0बी0वी0 में कार्यरत् एक उत्कृष्ट, सजग, कर्मठ खेल शिक्षिका को दी जाएगी।

<u>योजना के उद्देश्य-</u>

- उ0प्र0 में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत् 82,120 बालिकाओं को उनकी अभिवृद्वि, रूचि एवं क्षमतानुसार खेल प्रशिक्षण देकर सीधे राज्य स्तर पर खेल प्रतिस्पर्धाओं में प्रतिभाग करना एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतिस्पर्धाओं हेतु सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर अपना स्थान बनाना।
- विद्यालय स्तर पर खेलों की आधारभूत सुविधाएं एवं पूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराना।
- बालिकाओं को खेल सुविधाएं जैसे खेल किट, प्रशिक्षण आदि उपलब्ध कराना।
- विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के माध्यम से जनपद स्तरीय प्रतियोगिता (अन्तर्कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय) में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं का मण्डल एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए चयन करना।
- चयनित बालिकाओं को राष्ट्रीय एवं उत्कृष्ट कोटि की सुविधाएं प्रदान करना।

...2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जाये-

1- के0जी0बी0वी0 खेल समिति का गठन

वार्डन की अध्यक्षता में व्यायाम शिक्षिका/क्रीड़ा प्रभारी के साथ खेल में रूचि रखने वाली दो अन्य शिक्षिकाओं और दो खिलाडी छात्राओं को सम्मिलित करते हुए खेल समिति का गठन किया जायेगा। विद्यालय में संचालित होने वाली समस्त खेल गतिविधियों का संचालन/आयोजन उक्त समिति के माध्यम से ही किया जायेगा।

2- के0जी0बी0वी0 हेतु एक खेल का चयन

विद्यालय में उपलब्ध खेल का मैदान एवं अन्य खेल संसाधनों की उपलब्धता तथा छात्राओं की रूचि के अनुसार एवं उपलब्ध/कार्यरत कुशल व्यायाम शिक्षिका/क्रीड़ा प्रभारी के निर्देशन में विद्यालय की खेल समिति द्वारा विद्यालय में एक खेल का चयन किया जायेगा।

3- खेल प्रशिक्षक का चयन

विद्यालय में चयनित खेल से सम्बन्धित गतिविधियों को आयोजित करने का दायित्व विद्यालय की खेल शिक्षिका/प्रभारी खेल शिक्षिका का होगा। सम्बन्धित खेल की शिक्षिका के0जी0बी0वी0 में उपलब्ध न होने पर चयनित खेल की आवश्यकतानुसार के0जी0बी0वी0 में नियुक्त खेल शिक्षिका के अतिरिक्त अतिथि प्रशिक्षक के रूप में योग्य वाहय खेल व्यायाम शिक्षिकाओं/ प्रशिक्षकों यथा- खेल अनुदेशिका-शिक्षा विभाग, महिला कोच-क्रीडा विभाग (केवल महिला) को चिन्हांकित कर बालिकाओं के प्रशिक्षण हेतु सीमित अवधि के लिए के0जी0बी0वी0 में सम्बद्ध किया जायेगा।

4- खेल मैदान का चयन

विद्यालय स्तर पर चयनित खेल के अनुसार ही खेल मैदान का चयन किया जायेगा। उक्त हेतु आवश्यकतानुसार विद्यालय के निकट स्थित सार्वजनिक खेल स्थल/स्टेडियम का भी प्रयोग किया जायेगा।

5- खिलाड़ियों का चिन्हांकन एवं खेल सामग्री की उपलब्धता

विद्यालय स्तर पर अन्य खेल प्रतियोगिताओं के साथ-साथ विद्यालय स्तर पर चयनित खेल की प्रतियोगितायें आयोजित कर छात्राओं में से उनकी रुचि, योग्यता एवं कौशल के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर खिलाड़ियों का चिन्हांकन करते हुए चयनित खिलाडियों और चयनित खेल सामग्री (खेल विभाग/कारपोरेट्स/स्वयंसेवी संस्थाओं/ इत्यादि) की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

6- समय प्रबन्धन

विद्यालयों में खेल एवं शारीरिक शिक्षा के अन्तर्गत प्रत्येक छात्रा को खेल संबंधी जानकारी प्रदान कर सम्बन्धित गतिविधियां संचालित कराने हेतु विद्यालय समय-सारणी में खेल हेतु समय निर्धारित करते हुए विद्यालय स्तर पर चयनित छात्राओं के प्रतिदिन के क्रियाकलाप निर्धारित किये जायेंगे। चिन्हित महिला खेल शिक्षिका/कोच द्वारा विद्यालय समय से पूर्व तथा पश्चात् छात्राओं को चयनित खेल का अभ्यास कराया जायेगा।

...3

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

7- पोषण व स्वास्थ्य जागरूकता

बालिकाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिये समय-समय पर पोषण व स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे, जिसमें उन्हे उत्तम आहार, पोषण आदि से संबंधित जानकारी के साथ उत्तम स्वास्थ्य हेतु ध्यान रखने योग्य सावधानियों के सम्बन्ध में चर्चा की जायेगी। बालिकाओं के लिये डाइट प्लान बनाकर उसके अनुसार आहार उपलब्ध कराया जायेगा। समय-समय पर निकट के चिकित्सालयों से समन्वय स्थापित कर उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा तथा प्रत्येक छात्रा का ब्लड ग्रुप, ऊंचाई, भार इत्यादि का विवरण रखा जायेगा। साथ ही स्वास्थ्य एवं शिक्षा विभाग में आपसी समन्वय स्थापित कर स्वास्थ्य संबंधी जानकारी छात्राओं को प्रदान की जायेगी।

8- क्षेत्रीय तथा विभागीय सहभागिता

विद्यालय में क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में क्षेत्र के सम्मानित नागरिकों एवं विभागीय अधिकारियों को आमंत्रित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त पूर्व राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को भी छात्राओं के अभिप्रेरण के लिये बुलाया जा सकता है। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को स्थानीय प्रबुद्धजन/संस्थाओं के माध्यम से पुरस्कृत/सम्मानित कराया जायेगा।

9- खेल संघो एवं कॉरपोरेट समूहों से समन्वय

जनपद, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के खेल संघों एवं उनके पदाधिकारियों/खिलाड़ियों से समन्वय स्थापित करते हुए विद्यालय में खेलों का सफल आयोजन कराया जायेगा। बालिकाओं के पोषण एवं खेल सामग्री तथा अन्य सुविधाओं को और बेहतर उपलब्ध कराने के लिए कॉरपोरेट समूहों के साथ भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। इसी प्रकार रेलवे विभाग, ओ0एन0जी0सी0, एन0टी0पी0सी0 आदि यूनिटों से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा।

10- काउन्सलिंग

चिन्हित छात्राओं के अभिभावकों से सम्पर्क एवं समन्वय करते हुए खेल में की जा रही प्रतिभागिता एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन के सम्बन्ध में बालिकाओं की काउसिलिंग की जायेगी।

11- खेल विशेषज्ञों/खेल शिक्षकों का खेलवार पूल तैयार करना

विकास क्षेत्र स्तर, तहसील स्तर एवं जनपद स्तर पर विभिन्न खेलों के विशेषज्ञों का अलग अलग पूल तैयार किया जायेगा इस हेतु अपने विद्यालय के निकटस्थ अन्य विद्यालयों के खेल शिक्षक/क्रीड़ा प्रभारी अथवा क्षेत्र के कुशल खेल प्रशिक्षकों का चयन कर विद्यालय में खेलवार खेल शिक्षकों/प्रशिक्षकों का पूल तैयार किया जायेगा। विद्यालय स्तर पर आयोजित खेलों में उक्त शिक्षकों/प्रशिक्षकों से सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

12- खेल शिक्षिका का स्थानान्तरण

खेल संसाधनों/खेल के मैदान की उपलब्धता के आधार पर योग्य खेल शिक्षिका की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु खेल शिक्षिका को जनपद के अन्दर एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता होने पर शासनादेश संख्याः 1553/68-5-2020, दिनांक 11 दिसम्बर, 2020 एवं राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांकः के0जी0बी0वी0/ 3-2/3606/2021-22 दिनांक 11-10-2021 के क्रम में जनपदीय समिति के परीक्षणोपरान्त जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त स्थानान्तरित किया जायेगा।

...4

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

13- बालिकाओं का स्थानान्तरण

बालिकाओं के अन्य कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में स्थानान्तरण से पूर्व उनके अभिभावकों से अन्य विद्यालय में रहने की सहमति प्राप्त की जाएगी। बालिकाओं को विशेष प्रशिक्षण शिविर अभ्यास/कोचिंग हेतु अधिकतम 03 माह की अवधि के लिए विशेष खेल हेतु चिन्हित के0जी0बी0वी0 (नोडल) में स्थानान्तरित किया जायेगा और तत्पश्चात् बालिकाओं को उनके मूल के0जी0बी0वी0 में वापस भेज दिया जायेगा। संबंधित नोडल के0जी0बी0वी0 में उक्त बालिकाओं के रहने/भोजन की समुचित व्यवस्था राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा जारी ग्रान्ट से की जाएगी। यदि मानक के अनुसार दी गयी ग्रान्ट की धनराशि कम पड़ती है तो सम्बन्धित के0जी0बी0वी0 के अन्य आवर्तक मद में उपलब्ध बचत की धनराशि से की जायेगी।

उपर्युक्त योजना प्रथम चरण में जनपद के अधिकतम दो के0जी0बी0वी0 में लागू की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में ''एक के0जी0बी0वी0-एक खेल'' के अन्तर्गत प्रत्येक जनपद के न्यूनतम दो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पायलट आधार पर इस कार्यक्रम को संचालित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

डा0 एम0के0शन्मुगा सुन्दरम्
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0 व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
2. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
4. शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0, लखनऊ।
5. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज।
6. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
7. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
ह0/-
(आनन्द कुमार सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट से सत्यापित की जा सकती है ।